भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

और कजाकिस्तान गणराज्यके संस्कृति और खेल मंत्रालय

के बीच शारीरिक संस्कृति और खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा कजाकिस्तान गणराज्य के संस्कृति और खेल मंत्रालय, जिन्हें इसके बाद "पक्षों के रूप में उल्लिखित किया गया है, ने,

खेल और युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से,

तथाइस तथ्य कि शारीरिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत और प्रगाढ़ होंगे तथा यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती प्रदान करने तथा बढ़ावा देने का आधार है, को स्वीकार करते हुए,

निम्नलिखित समझौता किया है:

अनुच्छेद-1

वर्तमान ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच आपसी लाभ के आधार पर खेल के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और सुधार में सहयोग के लिए आधार प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-2

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षशारीरिक संस्कृति और खेल के माध्यमों से दोनों पक्षों के राज्यों में आयोजित खेल स्पर्धाओं पर सूचना,खेलों के विकास के लिए कार्यनीति संबंधी कार्यक्रमों तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य सुधार संबंधी समस्याओं पर वैज्ञानिक-सुव्यवस्थित सूचना का आदान-प्रदान करेंगे,

दोनों पक्ष वैज्ञानिक अनुसंधानों, उच्च प्रदर्शन वाले खेलों,चिकित्सा और जैव सहायता की पद्धतियों पर खेल नैदानिकी के क्षेत्र में पिछली उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग पर सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे,

दोनों पक्ष खेल निर्माण के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी और अनुभव पर सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे,

दोनों पक्ष नि:शक्त व्यक्तियों तथा उनके लिए उपयुक्त खेलों के लिए खेल के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद-3

प्रशिक्षण और खेल भावना के स्तर को उठाने के लिए दोनों पक्ष अतिरिक्त समझौतों के आधार पर दोनों पक्षों के भू-भाग में आयोजित प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य स्पर्धाओं में खेल विधा के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा आयोजकों की प्रतिभागिता के लिए यथावश्यक शर्तों पर सहमत होंगे।

शारीरिक संस्कृति और खेलों के विकास के लिए दोनों पक्ष राष्ट्रीय खेल परिसंघों और खेल संगठनों के बीच सीधासंपर्क स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद-4

दोनों पक्ष शारीरिक संस्कृति, खेल मुद्दों और खेल औषधि के विषयों पर तीसरे राज्यों के भू-भाग में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलनों, मंचों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के लिए सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद-5

दोनों पक्ष प्रतियोगिताओं के दौरान तथा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय विधानमंडल के अनुसार निषिद्ध मादक पदार्थों और औषधियों के सेवन को रोकने के लिए उपाय करेंगे।

अनुच्छेद-6

दोनों पक्ष वर्तमान ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न खर्चों का वहन इन देशों के राष्ट्रीय विधानमंडलों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोतों की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से करेंगे, यदि प्रत्येक मामला विशेष के लिए किसी अन्य आदेश पर सहमति नहीं की गई हो।

अनुच्छेद-7

वर्तमान ज्ञापन में दोनों पक्षों के वे अधिकार और प्रतिबद्धताएं जो उन अंतरराष्ट्रीय करारों जिनके ये दोनों देश सदस्य हैं,निहित नहीं हैं।

अनुच्छेद-8

दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस ज्ञापन में संशोधन और परिवर्धन किए जा सकते हैं, जो अलग-अलग प्रोटोकॉल में विधिवत निर्दिष्ट किए गए हैं और ये इस ज्ञापन के अभिन्न भाग होंगे।

अनुच्छेद-9

इस ज्ञापन के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के दौरान विवाद तथा असहमति होने की स्थिति में दोनों पक्ष इनका समाधान बातचीत तथा परामर्श के माध्यम से करेंगे तथा अंग्रेजी भाषा के पाठ को प्रामाणिक मानेंगे।

अनुच्छेद-10

वर्तमान ज्ञापन इसके हस्ताक्षर होने तारीख से प्रभाव में आएगा तथा 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यदि किसी भी पक्ष द्वारा समनुरूपी अवधि की समाप्ति से कम से कम6 (छह) महीने पहले इस ज्ञापन को राजनयिक माध्यमों से समाप्त करने के अपने अभिप्राय के बारे में लिखित रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तो विद्यमान ज्ञापन की अवधि स्वत: अगले 5 वर्ष (पांच वर्ष) के लिए बढ़ा दी जाएगी।

वर्तमान ज्ञापन की अवधि के दौरान अपनाए गए कार्यक्रमशर्तों के अनुसारपूरा किए जाने तक जारी रहेंगे।

......................शहर में .... 201..... में को कजाक, हिंदी, रसियन और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। वर्तमान समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारतीय गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए	**कजाकिस्तान गणराज्य के संस्कृति और खेल मंत्रालय के लिए**
--	--